कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

(पुराना कलेक्ट्रेट भवन, स्वामी विवेकानंद मार्ग , मेन रोड ,जांजगीर)Email-janjgir.deo@gmail.com

क्रमांक /4737 /शिका./जॉच /2026 जांजगीर, दिनांक 01/08/26

//आदेश//

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर–चांपा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार तथा सोशल मिडीया इंस्टाग्राम एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक मिडीया में दिनांक 31/07/2026 से वायरल विडीयो जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली की सहायक शिक्षक (एल.बी.) गीता कुम्भकार द्वारा अपने सोने की बाली खो जाने के कारण शाला के बच्चो को यदि प्राप्त हुआ है तो उसे जानने हेतु लाल कपड़े और मौली धागा से बंधे नारियल और चांवल को बच्चो के हाथ में स्पर्श कराया गया एवं सही सही तथ्य नही बताने पर पेट में दर्द, बुखार या अनहोनी की घटना होने का भय दिखाया गया इस प्रकार से इनके द्वारा टोटका कराते हुए अंधविश्वास फैलाया गया जबकि शासकीय संस्थाओ में अंधविश्वास, कुरीतियों को दूर करने की शिक्षा दी जाती है।

परंतु गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं.–बलौदा ने अपने उक्त अंधविश्वसनीय कृत्य से शाला एवं ग्राम में डर का माहौल फैला दिया है।

इस प्रकार गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं.–बलौदा के कृत्य से विभाग की छवि धुमिल हुई है जो कि गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है एवं अनुशासनहीनता का घोतक है।

02/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) को उनके कृत्य के संबंध में जारी कारण बताओ सूचना जारी किय गया परंतु संबंधित द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है इस प्रकार से गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं.–बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित है।

03/अतएव, गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं.–बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

04/निलंबन अवधि में गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं.–बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0, का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा

अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. नियत रहेगा एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
जांजगीर, दिनांक 01/08/26

पृ. क्रमांक/ 4738 /शिका./जॉच /2026
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जांजगीर–चांपा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित गीता कुम्भकार सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली वि.खं. –बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)